न्यायालय उप तहसीलदार हरसाणी, जिला बाड़मेर

प्रार्थी		विप्रार्थी
राजस्थान सरकार जरिये पटवारी हल्का झणकली	बनाम	मन्दा खां पुत्र काला खां निवासी उनरोड

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 धारा 91 के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 119/2025

–:निर्णय:–

पत्रावली आज बमुकाम हरसाणी में पेश हुई। विप्रार्थी उपस्थित। पटवारी हल्का झणकली उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का झणकली रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि विप्रार्थी मन्दा खान पुत्र काला खान खां ने ग्राम उनरोड के खसरा नंम्बर 268 कुल क्षैत्रफल **547.0856** हैक्टेयर किस्म **गै.मु.ओरण** में से 5.6655 हैक्टेयर पर जीरा की काश्त कर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया है। पटवारी हल्का झणकली की रिपोर्ट के अनुसार विप्रार्थी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थी को जरिये नोटिस के सुनवाई हेतु तलब किया गया।

अतः विप्रार्थी को भू राजस्व अधिनियम 1956 धारा 91 के तहत राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने पर अतिक्रमी घोषित किया जाता है। विप्रार्थी को **गै.मु.औरण** भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किये जाते है। साथ ही विप्रार्थी पर राशि **50 रूपये अक्षरे पच्चास रूपये** का जुर्माना आरोपित किया जाता है। जो विप्रार्थी से वसुल किया जावे।

निरीक्षक (भू.अ.) हरसाणी व पटवारी हल्का झणकली को आदेशित किया जाता है कि वह विप्रार्थी द्वारा **गै.मु.औरण** भूमि पर किये अतिक्रमण जीरा की काश्त को तत्काल नष्ट कर कब्जा बहक सरकार प्राप्त कर पालना रिपोर्ट पेश करें। मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार को लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक **14.02.2025** को खुले न्यायालय में सूनाया गया।

उप तहसीलदार
हरसाणी

उप तहसीलदार हरसाणी